



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122021-231854
CG-DL-E-14122021-231854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]
No. 648]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

फा. सं. पीएनजी आरबी/कॉम/3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-IV (पी-1018).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण।

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 4 में, ग्यारहवें परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ दिया जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते संक्रमणकालीन अवधि 30.09.2021 तक की विस्तारित संक्रमण अवधि भी पूर्ण होने के पश्चात् 30.09.2023 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए";

(ख) विनियम 5 में, दसवें परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते यह भी कि इस विनियमन के अन्तर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा। जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम, 2021 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधित होता है, तो बोर्ड ऐसे

परिशोधन के लिए विचार कर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन टैरिफ के बेंचमार्किंग पर निर्णय ले सकता है।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./511/2021-22]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम मा.का.नि. 987 (अ), दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किये गये थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012, दिनांक 13.12.2012, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16.12.2014, फा. सं. एल-विविध/VI/ 1/2007, दिनांक 01.01.2015, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2016, दिनांक 19.12.2016, फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2017, दिनांक 19.12.2017, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018, दिनांक 18.12.2018, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2019, दिनांक 18.04.2019, फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/ 62/2020, दिनांक 19.02.2020 और फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2020, दिनांक 27.03.2020, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 30.06.2020, और फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 वॉल्यूम-IV (पी-1018) दिनांक 28.09.2020 के माध्यम से संशोधित किए गए थे

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

F. No. PNG RB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol.-IV (P-1018).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on 1st October, 2021.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, -

- (a) in regulation 4, after the eleventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the transitional period may on the completion of the extended transition period till 30.09.2021, be further extended up to, and inclusive of, 30.09.2023”;

- (b) in regulation 5, after the tenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the determination of the petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2021 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./511/2021-22]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* G.S.R 987(E), dated 20.12.2010 and subsequently amended *vide* F. No. PNGRB/M(C)/62/2012, dated 13.12.2012, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16.12.2014, F. No. L-MISC/VI/1/2007, dated 01.01.2015, F. No. PNGRB/M(C)/62/2016, dated 19.12.2016, F. No. PNGRB/M(C)/62/2017, dated 19.12.2017, F. No. PNGRB/M(C)/62/2018, dated 18.12.2018, F. No. PNGRB/M(C)/62/2019, dated 18.04.2019, F. No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 19.02.2020 and F. No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 27.03.2020, F. No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 30.06.2020, F.No PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018) dated 28.09.2020.